


86

2

III/निग 0/रीवा/क्ष-ए/2017/3205
न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

आवेदन देवनारायण खटिक
दस्तावेज 18-9-17 M



1- देवनारायण पिता स्व0 श्री केमला खटिक,

2- बुलाकी पिता स्व0 श्री केमला खटिक

दोनो निवासीगण ग्राम गाढ़ा-138 तह0 जवा, जिला रीवा
म0प्र0

-----निगराकारगण

बनाम्

बद्री प्रसाद पिता छुगुनु खटिक, निवासी ग्राम गाढ़ा-138, तह0 जवा,
जिला रीवा म0प्र0

-----गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय
अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील
त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण
कमांक 108/ए-27/अपील/16-17
पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.09.2017
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व
संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य :-


यह कि निगराकारगणों द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील त्योंथर के प्रकरण कमांक 155/ए-70/अपील/12-13 के
आदेश दिनांक 28.06.2016 के तहत माननीय तहसीलदार महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/विग. 117/3205-

जिला- रीवा

पक्षकार का नाम देवारापण हरिक | बड़ी प्रसाद

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	